न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 42/2024
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024/63

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गजेन्द्र सांखला पुत्र श्यामलाल जाति खटीक निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.भंवरीदेवी पत्नि मीठालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री गजेन्द्र सांखला प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3.विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

:आदेश :

दिनांक– 26/02/2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी श्री गजेन्द्र सांखला पुत्र श्यामलाल जाति खटीक निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1544/771 मौजा मूगड़ा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतानामा पेश किया गया,साथ ही उक्त विप्रार्थी की तरफ से प्रार्थी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जवाब पेश नही कर निर्धारित प्रारूप में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई,जो शामिल मिसल है।

3 तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1544/771 में से होकर मुख्य सड़क मार्ग पहुंच हेतु खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 में से आवागमन् का रास्ता उपयोग किया जा रहा हैं,प्रार्थी उसका उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं,लेकिन राजस्व रेकर्ड़ में रास्ता कटान् नहीं होने के कारण विप्रार्थी बरसात के मौसम में रास्ता रोक–टोक की कोशिश करते रहते हैं,जिसके कारण प्रार्थी को आवागमन् की भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा हैं। इस कारण प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से मुख्य सड़क मार्ग पहुंच तक विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 में से परिशिष्ट अ में वर्णित अ से ब अनुसार 30 मीटर चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है,क्योंकि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना पाया तथा प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के आवागमन् के लिए निकटतम होना बताया गया हैं,जो कि अंतिम विकल्प हैं। विप्रार्थी येन–केन प्रकार से प्रकरण को लंबित करने की मंशा रखते हैं,क्योंकि उन द्वारा केवलमात्र प्रार्थी को आवागमन् रास्ता से वंचित रखना हैं,जबकि प्रार्थी को अत्याधिक रास्ता की आवश्यकता हैं,क्योंकि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई आवागमन् का रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अनुरूप ही रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4 विप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है,जो कि चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी की ओर से विप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किए जाने का अनुतोष चाहा है,जो कि मौके पर रास्ता विधमान ही नही है। जब मौके पर रास्ता होने की स्थिति ही नही है,तो प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का हकदार नही है। इसके अलावा विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 की नेखमबंदी कार्यवाही में प्रार्थी को अवैध अतिचार होना पाया गया है,जब विधि के अनुसार अतिचारी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। यदि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो मौके पर विवाद की स्थिति पैदा होगी,क्योकि वर्तमान में भी प्रार्थी का जो अतिचार विप्रार्थी की भूमि पर है,वो अतिचार प्रार्थी नही हटायेगा। इसके अलावा मूल खसरा संख्या 771 की तरमीम अशुद्ध होने का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रश्न है,जब तक तरमीम शुद्वि नही होगी,तब तक प्रार्थी रास्ता का अनुतोष चाह ही नही सकता है। इसके अलावा विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 के मध्य प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है,जो कि यदि धोषित किया जाता है,तो विप्रार्थी के खेतो के टूकड़े हो जायेगे। जिससे विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के पास निकटतम एवं वैकल्पिक रासता खसरा संख्या 1542/771,1543/771 व 1560/771 जिसमे आवासीय कोलानी हेतु प्लोटिग की गई है,में कॉलोनाईजर्स द्वारा रास्ता हित की सुविधा रखी हुई है,जो मौके पर है,जो निकटतम दूरी की है। उपरोक्त परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन विप्रार्थी के विरूद्व साबित नही होने के कारण खारिज किया जावे।

5 **हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजों व विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1536/771 व 1539/771 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने पत्रांक 1671/08.8.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

6 –प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 1544/771 रकबा 2.4281 किसम बारानी दोयम जो ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा में स्थित है। उक्त खेत मे आने जाने हेतु निकटतम कटाण रास्ता खसरा संख्या 1537/771,1609/845 किस्म गै.मु.सड़क है।,जिसके बीच में खसरा संख्या 1536/771,1539/771 कुल रकबा 5.6656 हैक्टयर है,जो अप्रार्थी भंवरीदेवी पत्नि मीठालाल जाति कुम्हार सा.बालोतरा के नाम दर्ज है। इसके अलावा निकटतम कटाण मार्ग नही है। अप्रार्थी भंवरीदेवी के नाम खसरा संख्या 1536/771,1539/771 दोनो खसरे मिले हुए एक ही चक है,इसलिए खसरा संख्या 1544/771 में आने जाने हेतु 1539/771 मे से पूर्व दिशा की तरफ प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 772 फीट चौड़ाई 30 फीट = 23160 वर्गफीट यानि 0.2152 हैक्टयर भूमि का प्रस्तावित किया जाता है। खसरा संख्या 1539/771 रकबा 1.9020 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि अंसिचित है। ग्राम मूगड़ा के खसरा संख्या 1539/771 की वर्तमान डी.एल.सी.दर 260956/–रूपये प्रति हैक्टयर है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा में दर्शित लाल स्याही से मार्क ए से बी है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

7 हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1544/771 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। उक्त परिस्थितियो को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रार्थी काश्तकार को आवागमन के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है,ताकि वे अपने कृषि कार्यो के लिए आवागमन का एक निश्चित रास्ता मिल जावे तथा भविष्य मे भी रास्ता को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद भी नही रहे। न्यायालय हाजा मौका के अनुरूप ही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझता है,जो कि प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने के हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8 उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1539/771 मे से पूर्व दिशा की तरफ प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 772 फीट चौड़ाई 30 फीट =23160 वर्गफीट यानि 0.2152 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दर 2,60,956/–प्रति हैक्टयर की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम गूगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1544/771 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या 1539/771 गे से पूर्व दिशा की तरफ प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 772 फीट चौड़ाई 30 फीट =23160 वर्गफीट यानि 0.2152 हैक्टयर की भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार ए से बी भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

26/02/26

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26/02/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

26/02/26

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा